राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2810/2024

भूपेन्द्र सिंह हाडा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा जोन, कोटा।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कनोटिया, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.09.2024
आदेश की दिनांक : 10.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2024, 06.08.2024 एवं 30.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थापित करते हुये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धूमेन तहसील अटरू, जिला बारां में कार्य करने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धूमेन, तहसील अटरू, जिला बारां में कार्यरत है। उसे आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया और आदेश दिनांक 06.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया एवं एपीओ आदेश दिनांक 30.08.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा की आड में वर्तमान पदस्थापन स्थान से

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद, जिला बारां स्थानांतरण किया गया है और उक्त स्थान पर कार्यग्रहण किये बगैर अपीलार्थी को दूसरे आदेश के द्वारा पुनः गलती से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तलवाडा, जिला बारां किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए के विपरीत जाकर जारी किया गया है। उनका कथन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के बावजूद अपीलार्थी के संबंध में जो आलोच्य आदेश जारी किया गया है, वह पूर्ण रूप से नियम एवं निर्देशों के विपरीत है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई जांच एवं शिकायत लंबित नहीं है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। बहस के दौरान उनका यह कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें स्थानान्तरण आदि पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय कार्यालय की उच्च स्तर की अनुमति के बिना स्थानांतरण आदि के संबंध में जारी किया गया आदेश को नियम विरूद्ध माना है और इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आदेश उक्त विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2024, 06.08.2024 एवं 30.08.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदस्थापित करते हुये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धूमेन तहसील अटरू, जिला बारां में कार्य करने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को सही रखने हेतु विद्यालय तथा छात्रहित में अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है और यह नियोक्ता का अधिकार है कि उसे किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। स्थानांतरण पर प्रतिबंध कार्मिक को इच्छित पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किये जाने के उद्देश्य से एपीओ नहीं किया गया है और इस प्रकार के एपीओ आदेश जारी किये जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ अध्यापक/प्रधानाध्यापक के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, धूमेन, तहसील अटरू, जिला बारां में कार्यरत है। उसे आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2024 के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया और आदेश दिनांक 06.08.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया एवं एपीओ आदेश दिनांक 30.08.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा की आड में वर्तमान पदस्थापन स्थान से मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहबाद, जिला बारां स्थानांतरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को उक्त आलोच्य आदेशों के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने एवं पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 04.01.2023 जिसके द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और सीएमओ कार्यालय की अनुमति के बिना स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी किये जाने से मना किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि सक्षम स्तर पर एपीओ आदेश जारी करने हेतु अनुमति प्राप्त की गई हो। ऐसे मामलो में हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 10490/2024 डॉ. महेश कुमार पंवार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.09.2024 जिसमें निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है :–

> *"The discussion made above, therefore, clearly shows that the awaiting posting order passed in the present case is not-in conformity with the provisions of law discussed above as neither it discloses any administrative exigency or emergent nature nor appropriate permission from the office of the Hon'ble Chief Minister was obtained before passing the order impugned. Consequently, the writ petition merits acceptance. The same is allowed. The order impugned dated 24.06.2024 (Annex.5) and its consequential relieving order dated 25.06.2024 (Annex.6) are quashed and set aside."*

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25ए में निम्नलिखित आधारों पर ही कार्मिक को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है :–

> *"(1) On return from leave. (2) On reversion to parent department from deputation within India. (3) On return from abroad after completion of training or foreign assignment. (4) On return from training within India. (5) Awaiting posting order after making over charge of the old post under the directions of Appointing Authority.*

(6) Non-acceptance of the officer on transfer to another post. (7) To save a Government servant from reversion."

इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2024, 06.08.2024 एवं 30.08.2024 उक्त नियमों एवं उक्त न्यायिक विनिश्चय के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.08.2024, 06.08.2024 एवं 30.08.2024 को अपास्त फरमाया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार नये सिरे से अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन करने हेतु स्वतंत्रत है। माननीय अधिकरण द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 12.09.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य